कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आष्टा
जिला—सीहोर म.प्र.

mpapmcashta@gmail.com

☎07560-242166

क./मंडी/निर्माण/19—20/2886 आष्टा, दिनांक 19/03/2020

//केंटीन नीलामी विज्ञप्ति//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति आष्टा में केंटीन संचालन कार्य मंडी समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से अधिक पर देने हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

इस हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म दिनांक 03/04/2020 दोपहर 4.00बजे तक निविदा प्रपत्र की राशि 1000/—नगद जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। निविदाऐं मोहरबंद लिफाफे में दिनांक 04/04/2020 दोपहर 3.00बजे तक कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आष्टा में प्रस्तुत की जाना होगी, जो उसी दिन दोपहर 4.00 बजे खोली जावेगी।

क्रं.	संरचना का नाम	न्यूनतम वार्षिक किराया	धरोहर राशि	संचालन अवधि
01	02	03	04	05
01	केंटीन	2,65,000/—	50000/—	3 वर्ष

कालम नं.04 में वांछित धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूपमें(न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि हेतु)जो कि कृषि उपज मंडी समिति आष्टा के नाम से एकाउन्ट फार हो निविदा के साथ प्रस्तुत की जाना होगी। अन्य शर्ते एवं जानकारी कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर देखी जा सकती है।

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति आष्टा
जिला—सीहोर, म.प्र.

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति आष्टा
जिला—सीहोर,म.प्र.

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आष्टा जिला–सीहोर म.प्र.
केंटीन ठेके पर देने संबंधी शर्ते

01 मंडी समिति में स्थित केंटीन संचालन हेतु साधारण इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को सीलबंद निविदा के माध्यम से सर्वाधिक किराया राशि वित्तीय प्रस्ताव पर दी जायेगी। इस हेतु दिनांक / /2020 तक मंडी समिति के कार्यालय से कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक निविदा प्रपत्र की राशि 1000/–नगद जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है।

02 इच्छुक निविदाकार को 3 लिफाफा पद्वति के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके अन्तर्गतः–

प्रथम लिफाफाः– पेनकार्ड या आधारकार्ड की छायाप्रति तथा पुलिस थाने से जारी चरित्र प्रमाणपत्र

द्वितीय लिफाफाः– धरोहर(प्रतिभूति)राशि 50,000/–की एफ.डी.आर.(जो कि 3 वर्ष की समयावधि से कम की न हो)कृषि उपज मंडी समिति आष्टा के नाम से एकाउन्टफार हो

तृतीय लिफाफाः– वित्तीय प्रस्ताव निविदा प्रपत्र में सुस्पष्ट रूपसे अंकित किया गया हो

चर्तुथ लिफाफाः– उक्त तीनों लिफाफों को सीलबंद कर इसमें रखकर निविदाकार का नाम पता सहित अंकित हो।

03 केंटीन हेतु न्यूनतम वार्षिक किराया 265000/– (अंकन दो लाख पैसठ हजार रूपये)वार्षिक रहेगा। न्यूनतम किराया से अधिक के वित्तीय प्रस्ताव ही स्वीकृत योग्य होगें।

04 ठेके की अवधि 03 वर्ष रहेगी एवं यह अवधि कार्य के मूल्यांकन तथा आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम एक एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी।

05 केंटीन हेतु प्राप्त अधिकतम् वार्षिक किराया राशि प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर एक वर्ष की राशि अग्रिम जमा करायी जाना होगी तथा आधिपत्य प्राप्ति से पूर्व स्वयं के व्यय पर मंडी समिति के पक्ष में नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पर पंजीकृत किरायेदारी अनुबंध निष्पादन करना होगा। तथा शेष समयावधि तक प्रतिवर्ष बोली राशि अग्रिम जमा करायी जावेगी।

06 द्वितीय निविदाकार की जमा धरोहर राशि सफल सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् वापस की जावेगी।

07 ठेका जिस व्यक्ति के नाम आंवटित होगा वह अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।

08 विद्युत एवं जल की व्यवस्था ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय से करना होगी। यदि ठेकेदार इसका लाभ मंडी समिति से प्राप्त करना चाहते है तो मंडी समिति द्वारा विद्युत पर होने वाले आगामी 06 माह का आकलन कर राशि अग्रिम के रूप में जमा कराने के उपरांत ही कनेक्शन दिया जावेगा। बिल की राशि प्रत्येक माह की 05 तारीख जक जमा करना आवश्यक होगी, अन्यथा कनेक्शन विच्छेद कर दिया जावेगा। जमा करायी गयी अग्रिम राशि अनुबंध की समाप्ति पश्चात विद्युत व्यय का समायोजन करते हुए शेष राशि ठेकेदार को वापस की जायेगी।

09 ठेकेदार एवं अधिनस्थ कार्यरत सेवकों को मंडी समिति द्वारा प्रसारित आदेश एवं मंडी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। अवहेलना करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा

10 केंटीन ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा। मंडी समिति किसी भी समय ठेके को निरस्त करने के लिये सक्षम होगीं।

11 किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगें।

12 किसी भी शर्त में कमी/वृद्धि अथवा फेरबदल करने का अधिकार मंडी समिति को रहेगा जो सभी को मान्य रहेगा।

13 केंटीन स्थल में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी। विकय सामग्री की गुणवत्ता की संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी तथा सामग्री संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

14 राज्य शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति द्वारा जारी आदेश निर्णय संशोधनो का पालन ठेकेदार द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा।

15 सफल निविदाकार को केंटीन संचालन से संबंधित समस्त शासकीय अनुज्ञप्तियें/दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ आधिपत्य प्राप्ति से एक माह की समयसीमा में कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

16 शासन द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सर्विस टेक्स की राशि का भुगतान ठेकेदार का पृथक से मंडी समिति में किराये के साथ जमा कराया जाना होगा।

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति आष्टा
जिला–सीहोर, म.प्र.

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति आष्टा
जिला–सीहोर,म.प्र.